इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली–110068

शिक्षा स्नातक (बी.एड.)

(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त)

आवेदकों के लिए

आवेदन-पत्र एवं दर्शिका

जनवरी, 2012

संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तारीख **15 जुलाई, 2011**

इस विश्वविद्यालय के किसी अन्य कार्यालय को भेजे गए आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रवेश परीक्षा की तारीख-21.8.2011

मूल्य 500/- रुपये (पंजीकरण शुल्क सहित)
(काउंटर पर 500/- रुपये और डाक से 550/- रुपये)

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ संख्या
1.	विश्वविद्यालय के बारे में	3
2.	विश्वविद्यालय के नियम	6
3.	शिक्षा विद्यापीठ	14
4.	शिक्षा स्नातक (बी.एड.) कार्यक्रम	14
5.	परिशिष्ट	22
6.	शिक्षा स्नातक (बी.एड.) कार्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के लिए सूचना पुस्तिका	94
7.	आवेदन पत्र भरने के संबंध में निर्देश	305
8.	आवेदन पत्र	309

1. विश्वविद्यालय के बारे में

1.1 प्रस्तावना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की स्थापना 20 सितंबर, 1985 को संसद के अधिनियम (1985) द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की गई :

- शिक्षा को विद्यार्थियों के द्वार तक पहुँचाकर, उच्च शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करना;
- आयु, क्षेत्र अथवा औपचारिक शैक्षिक योग्यता पर विचार किए बिना, शिक्षा पाने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों को उच्च कोटि की शिक्षा सुलभ कराने की व्यवस्था करना;
- व्यवसायमूलक पाठ्यक्रमों द्वारा आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम प्रदान करना;
- शीर्षस्थ निकाय के रूप में देभा में दूर शिक्षा के मानकों को निर्धारित करना और उन्हें बनाए रखना।
- भारत में दूर शिक्षा को प्रोत्साहित एवं विकसित करना;

1.2 प्रमुख विशेषताएँ

- अंतरराष्ट्रीय क्षेत्राधिकार
- लचीले प्रवेश नियम
- अध्ययन की रफ्तार, अवधि एवं अध्ययन के स्थान की दृष्टि से लचीलापन
- नवीनतम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों का प्रयोग
- राष्ट्रव्यापी विद्यार्थी सहयोग सेवा नेटवर्क
- लागत–प्रभावी कार्यक्रम
- कार्यक्रमों के संबंध में माड्यूलर दृष्टिकोण
- परंपरागत विश्वविद्यालयों, मुक्त विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों/संगठनों के साथ संसाधनों का आदान–प्रदान, आपसी सहयोग एवं नेटवर्किंग
- विद्यार्थी आवश्यकता विश्लेशण के आधार पर सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से प्रासंगिक कार्यक्रम
- मुक्त एवं परंपरागत शिक्षा पद्धतियों का अभिसरण
- अपनी सुविधा और गति के अनुसार अध्ययन
- भिन्न–भिन्न विषयों में से अपने मनपसंद पाठ्यक्रम (विषय) चुनने की स्वतंत्रता
- अपने मनचाहे स्थान से अध्ययन करने की स्वतंत्रता
- आप इग्नू में अध्ययन के दौरान किसी अन्य विश्वविद्यालय में भी अध्ययन कर सकते हैं।

1.3 महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- इग्नू का राष्ट्रमंडल में सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में आविर्भाव।
- देश में दूर शिक्षा पद्धतियों के समन्वय और मानकों के निर्धारण के लिए दूर शिक्षा परिषद (DEC) की स्थापना (1992)।
- इग्नू को कॉमनवैल्थ ऑफ लर्निंग (COL) द्वारा दूर शिक्षा में उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में मान्यता (1993)।

- एकतरफा, दोतरफा आडियो टेलीकांफ्रेंसिंग आयोजित करने के लिए इग्नू–इसरो द्वारा संयुक्त चैनल का प्रारंभ (1993)।
- अन्य देशों में इग्नू सेवाओं का प्रसार।
- कॉमनवैल्थ ऑफ लर्निंग द्वारा दूर शिक्षा अधिगम सामग्री के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार (1999)।
- इग्नू कार्यक्रमों का मालदीव, मॉरिशस, नेपाल और सेशल्स सहित अफ्रीकी एवं पश्चिम एशियाई देशों जैसे कुल 35 देशों तक प्रसार
- चौबीस घंटे शैक्षिक चैनलों की शृंखला 'ज्ञान दर्शन' का आरंभ। इग्नू इन चैनलों के लिए नोडल एजेंसी है और इनके नियमित प्रसारण का कार्य संचार केंद्र, इग्नू के स्टूडियो से किया जाता है।
- 'एडुसेट' विडियोकान्फ्रेंसिंग चैनल (दो तरफा विडियो, 2 तरफा श्रव्य) का आरंभ
- ज्ञानवाणी एवं अन्य समर्पित शैक्षिक एफएम चैनलों का आरंभ

1.4 अध्ययन विद्यापीठ

विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों के अध्ययन में तालमेल विकसित करने के लिए विभागों के बजाय अध्ययन विद्यापीठों के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक विद्यापीठ एक निदेशक के अधीन है। निदेशक पर विद्यापीठ के कर्मचारियों और विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक, प्रशासनिक तथा सेवा शाखाओं के साथ तालमेल रखते हुए शैक्षिक कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों की योजना तैयार करने, उनका पर्यवेक्षण करने तथा उन्हें विकसित और आयोजित करने का दायित्व है। इस समय निम्नलिखित अध्ययन विद्यापीठ चल रहे हैं :

- कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्यापीठ
- सतत् शिक्षा विद्यापीठ
- शिक्षा विद्यापीठ
- इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ
- स्वास्थ्य विज्ञान विद्यापीठ
- मानविकी विद्यापीठ
- प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ
- विज्ञान विद्यापीठ
- सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
- विधि विद्यापीठ
- कृषि विद्यापीठ
- पत्रकारिता एवं नव–जनसंचार माध्यम अध्ययन विद्यापीठ
- जेंडर एवं विकास अध्ययन विद्यापीठ
- पर्यटन आतिथ्य सत्कार सेवा क्षेत्रक प्रबंधन विद्यापीठ
- अंतःविषयक एवं परा–विषयक अध्ययन विद्यापीठ
- सामाजिक कार्य विद्यापीठ
- व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ
- विस्तार एवं विकास अध्ययन विद्यापीठ
- विदेशी भाषा विद्यापीठ
- अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ
- प्रदर्शनपरक एवं दृश्य कला विद्यापीठ

विभिन्न स्तरों पर व्यापक चयन (पसंद) के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने पर बल दिया जाता है।

1.5 शैक्षणिक कार्यक्रम

विश्वविद्यालय परंपरागत और नवीन कार्यक्रमों के अंतर्गत डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र के अल्पकालीन व दीर्घकालीन दोनों प्रकार के कार्यक्रम चलाता है। इनमें से अधिकतर कार्यक्रम इस प्रकार के अध्ययनों की माँग के प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद विकसित किए गए हैं।

इन्हें विद्यार्थियों की निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से आरंभ किया गया है:

- प्रमाणन
- कौशलों का उन्नयन
- व्यावसायिक योग्यता का अर्जन
- कार्यस्थल पर सतत् शिक्षा और व्यावसायिक विकास की प्राप्ति
- आत्म–संवर्धन
- ज्ञान का विविधीकरण एवं अद्यतन, और
- सशक्तीकरण

1.6 पाठ्यक्रम निर्माण

अध्ययन सामग्री विशेष रूप से देश की विभिन्न संस्थाओं/विश्वविद्यालय और इग्नू के संकाय सदस्यों द्वारा तैयार की जाती है। प्रेस में भेजने से पहले इस सामग्री की इग्नू में विषय विशेषज्ञों द्वारा जाँच की जाती है। अनुदेश/इकाई डिज़ाइनर इसका पर्यवेक्षण करते हैं और भाषा विशेषज्ञ संपादन करते हैं। इसी प्रकार श्रव्य और दृश्य कैसेट पाठ्यक्रम लेखकों, विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों और प्रोडयूसरों के परामर्श से तैयार किए जाते हैं। अंततः निर्मित सामग्री का अध्ययन केन्द्रों, दूरदर्शन और आकाशवाणी में भेजने से पहले संकाय एवं अन्य बाहरी मीडिया विशेषज्ञों द्वारा पूर्वविलोकन एवं पुनरावलोकन किया जाता है और जहाँ कहीं आवश्यक हो तो इसका संपादन अथवा संशोधन भी किया जाता है।

1.7 क्रेडिट पद्धति

विश्वविद्यालय अपने अधिकांश कार्यक्रमों के लिए ''क्रेडिट पद्धति'' का अनुसरण करता है। प्रत्येक क्रेडिट के अंतर्गत सभी शिक्षण गतिविधियों के 30 घंटे का अध्ययन निर्धारित है। उदाहरण के लिए चार क्रेडिट वाले पाठ्यक्रम के लिए 120 घंटे का अध्ययन अपेक्षित है। पाठ्यक्रम अधिभारिता क्रेडिटों के अनुसार अभिव्यक्त की जाती है। इससे विद्यार्थियों को यह समझाने में सहायता मिलती है कि किसी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उन्हें कितना प्रयास करना है। किसी शैक्षिक कार्यक्रम (डिग्री, डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र) का पूरा होना विद्यार्थी द्वारा किसी कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम से संबंधित सत्रीय कार्यों, सत्रांत परीक्षा तथा प्रयोगात्मक घटकों में सफलता पर निर्भर करता है।

1.8 सहायता सेवाएँ

पूरे देश में विश्वविद्यालय के बड़ी संख्या में अध्ययन केंद्र हैं ताकि हर एक विद्यार्थी को वैयक्तिक सहयोग दिया जा सकें। इन अध्ययन केंद्रों का संचालन इस समय 30 क्षेत्रीय केंद्र करते हैं। अध्ययन केंद्रों में विद्यार्थी शैक्षिक परामर्शदाताओं और अन्य विद्यार्थियों से रूबरू होते हैं, पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ते हैं, दृश्य/श्रव्य कैसेट देखते/सुनते हैं, तथा प्रशासनिक और शैक्षिक विषयों पर संचालक से विचार–विमर्श करते हैं। कार्य केंद्रों, कार्यक्रम केंद्रों और कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से सहायता सेवाएं भी प्रदान की जाती है।

1.9 कार्यक्रम वितरण

विश्वविद्यालय में शिक्षा पद्धति परंपरागत विश्वविद्यालयों से भिन्न है। मुक्त विश्वविद्यालय पद्धति अधिक छात्रोन्मुखी है और अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया में विद्यार्थी सक्रिय रूप से भागीदार होता है। अधिकांश शिक्षा प्रत्यक्ष (आमने–सामने) संप्रेषण की बजाय दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से दी जाती है।

शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय का बहुमाध्यम दृष्टिकोण है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

क) स्व–अनुदेशी मुद्रित सामग्री
ख) श्रव्य–दृश्य सामग्री
ग) परामर्श–सत्र/संपर्क कार्यक्रम
घ) टेलीकांफ्रेंसिंग
च) प्रायोगिक कार्य
छ) प्रयोगात्मक हैंडबुक
ज) श्रोता सहभागी रेडियो परामर्श, ज्ञानवाणी तथा ज्ञानदर्शन

2 विश्वविद्यालय के नियम

विश्वविद्यालय को समय–समय पर नियमों में परिवर्तन लाने का अधिकार है। हालाँकि, पंजीकरण वर्ष को बिना विचारे नवीनतम नियम सभी विद्यार्थियों पर लागू होंगे।

2.1 निजी संस्थानों द्वारा प्रदत्त शैक्षिक योग्यताएं

छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय **(स्थापना और विनियम),** अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त कोई भी शैक्षिक योग्यता फिलहाल मौजूद नहीं हैं और इसे इग्नू में उच्च अध्ययन हेतु प्रवेश का आधार नहीं बनाया जा सकता।

2.2 अधूरे तथा देर से प्राप्त आवेदन पत्र

अधूरे और देर से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र/पुनः पंजीकरण फार्म, पाठ्यक्रमों अथवा ऐच्छिक विषयों के गलत विकल्प अथवा गलत सूचना देने पर संबंधित शिक्षार्थी को कोई सूचना दिए बिना ही उसका फार्म तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए शिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबद्ध कॉलमों को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक प्रमाणपत्रों की सभी अनुप्रमाणित (सत्यापित) प्रतियाँ संलग्न करें तथा सिर्फ **संबंधित निदेशक के पास फार्म निर्धारित तारीख तक अथवा इससे पहले भेज दें।** इस संबंध में विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी कार्यालय को भेजे गए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा और इस आधार पर आवेदक किसी भी प्रकार का अपना दावा पेश नहीं कर पायेगा।

2.3 प्रवेश की वैद्यता

प्रवेश प्राप्ति की सूचना वाले शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय में निर्धारित देय तारीख को या इससे पहले प्रवेश प्राप्ति करनी होगी। यदि वे अगले सत्र में प्रवेश चाहते हैं तो उन्हें नये सिरे से प्रवेश प्राप्त करना होगा और प्रवेश प्रक्रिया से पुनः गुज़रना होगा।

2.4 एक साथ पंजीकरण

जो शिक्षार्थी एक वर्ष या दीर्घ अवधि के कार्यक्रम में पहले से नामांकित हैं वे साथ ही, 6 महीने की अवधि के प्रमाणपत्र कार्यक्रम में भी पंजीकरण कर सकता है। यदि दोनों कार्यक्रमों

के परामर्श सत्र या परीक्षा की तारीखें एक साथ हुईं तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय अलग से परीक्षा आयोजित कराने के लिए जिÃम्मेदार नहीं होगा।

2.5 परामर्श और परीक्षा केंद्र

सभी अध्ययन केंद्र, कार्यक्रम अध्ययन केंद्र और विशेश अध्ययन केंद्र परीक्षा केंद्र नहीं हैं। यह जÃरूरी नहीं है कि जहाँ शिक्षार्थी ने परामर्श या प्रायोगिक घटकों का अध्ययन किया है वहीं प्रायोगिक परीक्षा का भी आयोजन हो। नियमित परामर्श सत्रों को शिक्षार्थी सहायता केंद्रों में संचालित किया जायेगा बशर्ते संबंधित पाठ्यक्रम हेतु शिक्षार्थियों की संख्या 10 या अधिक हो। यदि संख्या 10 से निम्न है तो नियमित परामर्श की बजाय गहन परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाएगा और जिसका अनिवार्यतया अर्थ है कि निर्धारित परामर्श सत्रों के 40% भाग का संचालन एक हफ्ते के भीतर ही किया जायेगा।

2.6 पता परिवर्तन/सुधार

पता परिवर्तन/सुधार के लिए मुद्रित कार्ड है जिसे अध्ययन सामग्री के साथ ही प्रेषित किया जाता है। पते में किसी सुधार/परिवर्तन के मामले में शिक्षार्थियों को कार्यक्रम दर्शिका में दिए गए प्रोफार्मा का प्रयोग कर, संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को भेजना होगा जो विद्यार्थी के हस्ताक्षर को सत्यापित कर, उसके निवेदन को विद्यार्थी पंजीकरण विभाग, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली–110068 को भेज देंगे। सीधे तौर पर प्राप्त निवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी। पता परिवर्तन का फार्म इग्नू वेबसाइट www.ignou.ac.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है। इस संबंध में विद्यार्थी कृपया विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य अधिकारी को पत्र न लिखें। सामान्यतया, पता परिवर्तन 4–6 हफ्तों में होता है। इसलिए, इस अवधि के दौरान शिक्षार्थी अपने पत्रों को नये पते में प्राप्ति का बंदोबस्त स्वयं करें।

यदि अध्ययन केंद्र परिवर्तन करना हो तो शिक्षार्थियों को प्रोफार्मा को भर कर इसे संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को भेजना होगा। शिक्षार्थियों को यह सुनि ि चत कर लेना चाहिए कि चुने गए नये अध्ययन केंद्र में उनके द्वारा चुने गए विषयों के लिए परामर्श सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। अध्ययन केंद्र परिवर्तन संबंधी निवेदन सामान्यतया नये अध्ययन में उस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटों पर निर्भर करता है। प्रवेश प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से पहले तक पता एवं अध्ययन केंद्र परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाती।

2.7 क्षेत्र परिवर्तन

अध्ययन केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र परिवर्तन की अनुमति ऐसे कार्यक्रमों के लिए नहीं दी जाती जहाँ प्रयोगात्मक घटक सम्मिलित हों।

2.8 विदेशी विद्यार्थी

भारत में बसे ऐसे विदेशी विद्यार्थी, इग्नू कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं जिनके पास कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि के लए **वैद्य विद्यार्थी वीजा** (valid student visa) है। ऐसे विद्यार्थियों को विदेशी विद्यार्थियों के समतुल्य शुल्क (विदेशी विद्यार्थियों की शुल्क संरचना को इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है) की अदायगी करनी होगी। भारत में बसे विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश, विदेश मत्रालय/मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इनके पूर्ववृत्त (antecedents) सुनिश्चित करने के बाद इग्नू के **अंतरराष्ट्रीय प्रभाग** द्वारा संसाधित किया जाएगा सीमित सीटों वाले कार्यक्रम विदेशी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

2.9 आरक्षण

विश्वविद्यालय, अपने विविध कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु भारत सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों की गैर–क्रीमी परत, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं, कश्मीरी प्रवासियों और शारीरिक रूप से विकलांगों को सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।

2.10 सत्रांत परीक्षा

विश्वविद्यालय वर्ष में दो बार अर्थात जून एवं दिसम्बर माह में सत्रांत परीक्षाओं का संचालन करता है। विद्यार्थियों को सत्रांत परीक्षा में बैठने की अनुमति तभी दी जाती है जब वे जिन पाठ्यक्रमों की परीक्षा देने के इच्छुक होते हैं, उन सभी पाठ्यक्रमों का पंजीकरण वैध हो। इस संदर्भ में कार्यक्रम पूरा करने की अधिकतम समयावधि अभी बाकी होनी चाहिए और देय तारीख से पहले ऐसे सभी पाठ्यक्रमों के सत्रीय कार्यों को पूरा करके जमा कराना भी ज़रूरी है।

• परीक्षा शुल्क

परीक्षा शुल्क, प्रति पाठ्यक्रम 50/- रुपए के आधार पर और इग्नू के पक्ष में बने डिमांड ड्राफ्ट जो कि दिल्ली में देय हो, द्वारा अदा किया जाएगा। परीक्षा फार्म, सभी अध्ययन केंद्रों एवं क्षेत्रीय केंद्रों पर उपलब्ध हैं। विद्यार्थी, निर्देशानुसार इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in पर, अपना परीक्षा फार्म, ऑन लाइन भी जमा करा सकते हैं।

• परीक्षा केंद्र

आमतौर पर अध्ययन केंद्र ही परीक्षा केंद्र है। हालांकि विद्यार्थी को परीक्षा फार्म में परीक्षा केंद्र कोड भरना होता है। इस उद्देश्य के लिए आप, विद्यार्थी हैंडबुक एवं विवरणिका/कार्यक्रम दर्शिका में उपलब्ध अध्ययन केंद्रों की सूची को भलीभांति पढ़ लें। यदि कोई विद्यार्थी किसी विशिष्ट केंद्र में परीक्षा देना चाहता है तो उसे अध्ययन केंद्र कोड के रूप में अपने द्वारा चुने गए केंद्र का कोड भरना होगा। हालांकि, यदि विद्यार्थी द्वारा चयनित परीक्षा केंद्र सक्रिय नहीं है तो विश्वविद्यालय द्वारा समान क्षेत्र के अंतर्गत कोई अन्य परीक्षा केंद्र आबंटित किया जाएगा।

परीक्षा फार्म जमा कराने की तारीख

<table>
<tr><th>जून सत्रांत परीक्षा</th><th>दिसंबर सत्रांत परीक्षा</th><th>विलंब शुल्क</th><th>फार्म जमा कराने का स्थान</th></tr>
<tr><td>1 मार्च से 31 मार्च</td><td>1 सितंबर से
30 सितंबर</td><td>कोई नहीं</td><td rowspan="2">इग्नू मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110068
या संबद्ध क्षेत्रीय केंद्र</td></tr>
<tr><td>1 अप्रैल से 20 अप्रैल</td><td>1 अक्तूबर से
20 अक्तूबर</td><td>300/- रुपए</td></tr>
<tr><td>21 अप्रैल से 15 मई</td><td>21 अक्तूबर से
15 नवम्बर</td><td>500/- रुपए</td><td rowspan="2">दिल्ली से बाहर के विद्यार्थियों हेतु
(संबद्ध क्षेत्रीय केंद्र)

दिल्ली के विद्यार्थियों हेतु (इग्नू, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110068 या संबद्ध क्षेत्रीय केंद्र)</td></tr>
<tr><td>16 मई से 28 मई</td><td>16 नवम्बर से
26 नवम्बर</td><td>1000/- रुपए</td></tr>
</table>

परीक्षा फार्म भरने में त्रुटियों एवं सत्रांत परीक्षा में बैठने से जुड़ी कठिनाइयों से बचने के लिए, विद्यार्थियों के लिए जरूरी है किः

1. यदि परीक्षा फार्म जमा करने की समयसूची में कोई परिवर्तन हो तो वे अपने अध्ययन केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र/विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग के सदैव संपर्क में रहें;
2. पिछली सत्रांत परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना एवं जिन पाठ्यक्रमों का परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया अर्थात ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए भी वे आगामी सत्रांत परीक्षा

का परीक्षा फार्म भर दें। पिछली सत्रांत परीक्षा के पाठ्यक्रमों और परीक्षा फार्म जमा करने की तारीख पर जिन पाठ्यक्रमों का परीक्षाफल घोशित नहीं किया गया अर्थात् इस संबंध में विद्यार्थी को प्रवेश शुल्क भरने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यदि विद्यार्थी पिछली सत्रांत परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों की सफलतापूर्वक प्राप्ति नहीं कर पाता और वर्तमान सत्रांत परीक्षा में बैठता है तो उसे ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क भरना होगा;

3. परीक्षा फार्म के संसाधन में देरी न हो एवं इसे रद्द होने से बचाने के लिए सभी विवरणों को सजगता एवं सतर्कता से भरें;
4. परीक्षा हाल टिकट आने तक, भेजे गए/जमा कराए गए परीक्षा फार्म का प्रमाण (प्रूफ) अवश्य रखें।

• परीक्षा हाल टिकट जारी करना

विश्वविद्यालय सत्रांत परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो हफ्ते पहले विद्यार्थी को परीक्षा हाल टिकट जारी कर देता है और इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ignou.ac.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है। यदि किसी विद्यार्थी को परीक्षा शुरु होने से पहले तक के एक हफ्ते के भीतर परीक्षा हाल टिकट की प्राप्ति नहीं होती तो विद्यार्थी वेबसाइट से हाल टिकट डाउनलोड कर सकता है और अपना पहचान कार्ड दिखा कर परीक्षा में बैठ सकता है।

2.11 प्रवेश और विश्वविद्यालय के अन्य मामलों पर विवाद

किसी भी विवाद के मामले में, यदि आवश्यक हो, मुकदमें के लिए न्यायिक क्षेत्र केवल नई दिल्ली/ दिल्ली होगा।

2.12 मान्यता

इग्नू की सभी उपाधियाँ/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सभी सदस्यों द्वारा मान्य हैं और यू.जी.सी. के परिपत्र सं. एफ-152/2000(CCP-II) दिनांक 5 मई, 2004 और ए.आई.यू. परिपत्र सं. ई वी/11 (449/94/176915-177115 तारीख 14 जनवरी 1994) और ए.आई.सी.टी.ई. परिपत्र संख्या ए.आई.सी.टी.ई./अकादमिक/एम.ओ.यू.-दिसंबर/2005 तारीख 13 मई, 2005 के अनुसार सभी भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के उपाधियों/डिप्लोमा/प्रमाणपत्रों के समतुल्य हैं।

2.13 पाठ्य सामग्री एवं सत्रीय कार्य

विश्वविद्यालय निर्धारित पाठ्य विवरण के आधार पर पंजीकृत डाक से विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री और सत्रीय कार्य भेजता है। यदि किसी कारणवश विद्यार्थी को इनकी प्राप्ति नहीं होती तो विश्वविद्यालय इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। **यदि विद्यार्थी सत्रीय कार्य प्राप्त करना चाहता है तो इसे इग्नू के अध्ययन केंद्र या क्षेत्रीय केंद्र या इग्नू की वेबसाइट** www.ignou.ac.in **से प्राप्त किया जा सकता है।** अध्ययन सामग्री न प्राप्त होने की स्थिति में, विद्यार्थियों को संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को लिखना होगा।

2.14 ऐच्छिक/पाठ्यक्रम में परिवर्तन

संबद्ध वर्ष में पाठ्यक्रम सामग्री के पहले सैट की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ऐच्छिक/पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की अनुमति है। 4 क्रेडिट पाठ्यक्रम के लिए 200/- रुपए और बी.एड. कार्यक्रम में 6-8 क्रेडिट वाले पाठ्यक्रम के लिए 400/- और 2/4 क्रेडिट तक के पाठयक्रमों के लिए 200/- रुपए का शुल्क भरना होगा। ऐच्छिक/पाठ्यक्रम परिवर्तन के लिए सिर्फ संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को निवेदन करें। संबंधित अध्ययन केंद्र से पहले से प्राप्त अध्ययन सामग्री विद्यार्थी को लौटानी होगी।

2.15 माध्यम में परिवर्तन

माध्यम में परिवर्तन की अनुमति सिर्फ पहले वर्ष में प्राप्त पाठ्यक्रम सामग्री के पहले सेट की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दी जाती है और इसके लिए प्रति 2/4 क्रेडिट पाठ्यक्रम 200 रु. + 200 रु. और प्रति 6/8 क्रेडिट पाठ्यक्रम 400 रु. की अदायगी करनी होगी। दूसरे वर्ष में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। विद्यार्थी को माध्यम में परिवर्तन के लिए पहले प्राप्त अध्ययन सामग्री संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वापस करनी आवश्यक होगी।

2.16 पुनः प्रवेश

विद्यार्थी 4 वर्षों की अधिकतम अवधि की समाप्ति के उपरांत अन्य शेष पाठ्यक्रमों हेतु पुनः प्रवेश की प्राप्ति कर सकता है। पुनः प्रवेश अवधि अधिकतम अवधि के पूर्ण होने की तारीख से 2 वर्षों की है। प्रथम पंजीकरण की तारीख से छह वर्षों की समाप्ति के बाद किसी भी पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं है। पुनः प्रवेश संबंधी आवेदन 1600/- रु. प्रति पाठ्यक्रम के यथानुपात शुल्क सहित सिर्फ विद्यार्थी पंजीकरण प्रभाग, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110068 को भेजा जाना चाहिए।

2.17 परिणाम की समय से पहले घोषणा

ऐसे विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए जिन्हें उच्च अध्ययन में प्रवेश के लिए आमंत्रित किया गया है और/या जिनका रोजगार के लिए कहीं चयन हो गया है, और जिन्हें इन कारणों से निर्धारित तारीख तक अपने अंक का विवरण/ग्रेड कार्ड की प्रस्तुति करना जरूरी है अर्थात ये सभी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की समय से पहले जाँच एवं परिणाम की भी तत्काल घोषणा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संदर्भ में विद्यार्थियों को प्रवेश/ रोजगार आमंत्रण की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित इग्नू के पक्ष में बने और संबंधित क्षेत्रीय केंद्र के शहर में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रति पाठ्यक्रम 700/- रुपए के शुल्क सहित निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा। वे सत्रांत परीक्षा शुरु होने से पहले अर्थात क्रमशः 1 जून एवं 1 दिसम्बर से पहले शीघ्र घोषणा के लिए निवेदन कर सकते हैं। ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के शीघ्र मूल्यांकन की व्यवस्था की जाएगी और परीक्षा लेने की तारीख से संभवतया एक माह के भीतर विशेष मामले के रूप में परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

भर्ती/उच्च अध्ययन/उच्च पद और प्रोन्नति उद्देश्य आदि जैसे कारणों के लिए समय से पहले परिणाम घोषणा संबंधी आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

परिणाम की शीघ्र घोषणा की अनुमति सिर्फ सत्रांत परीक्षा के लिए ही है न कि प्रायोगिक/ प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों, परियोजना, कार्यशाला, सत्रीय कार्य एवं सेमीनार आदि हेतु।

निर्धारित आवेदन फार्म का नमूना नियमों एवं विनियमों सहित विद्यार्थी हैंडबुक एवं विवरणिका में संलग्न है और इसे विश्वविद्यालय की बेवसाइट www.ignou.ac.in पर भी उपलब्ध कराया गया है।

2.18 उत्तर पुस्तिका(ओं) का पुनः मूल्यांकन

जो विद्यार्थी, सत्रांत परीक्षाओं में प्राप्त अपने अंकों/ग्रेडों से संतुष्ट नहीं हैं, वे दिसम्बर की सत्रांत परीक्षा के परिणाम के लिए 31 मार्च से पहले और जून की सत्रांत परीक्षा के परिणाम के लिए 30 सितम्बर से पहले या परिणामों की घोषणा की तारीख से एक माह के भीतर अर्थात वह तारीख जब विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परिणामों को उपलब्ध कराया जाता है अर्थात इस आधार पर प्रति पाठ्यक्रम 500/- रुपए की अदायगी, इग्नू के पक्ष में बने एवं संबंधित क्षेत्रीय केंद्र के शहर में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कर, पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मूल अंकों/ग्रेडों एवं पुनः मूल्यांकन के बाद के अंकों/ग्रेडों में से जो बेहतर होगा, उस पर विचार करके, विद्यार्थी के रिकार्ड को अद्यतन किया जाएगा।

पुनः मूल्यांकन की अनुमति सत्रांत परीक्षा के लिए ही है न कि प्रायोगिक/प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों, परियोजना, कार्यशाला, सत्रीय कार्य एवं सेमीनार आदि हेतु।

निर्धारित आवेदन फार्म का नमूना नियम एवं विनियम सहित विद्यार्थी हैंडबुक एवं विवरणिका में संलग्न है और इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ignou.ac.in पर भी उपलब्ध कराया गया है।

2.19 अंक/श्रेणी में सुधार

स्नातक/स्नातकोत्तर विद्यार्थी, जिन्होंने कार्यक्रम पूरा कर लिया है और अपनी डिवीजन/श्रेणी में सुधार के इच्छुक हैं वे सत्रांत परीक्षा में बैठ कर ऐसा सुधार कर सकते हैं। पात्रता इस प्रकार है :

क) स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम के वे विद्यार्थी जिनके मामले में द्वितीय और प्रथम डिवीजन की प्राप्ति के लिए 2% अंकों की कमी है।

ख) सिर्फ स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम के वे विद्यार्थी जिनके मामले में कुल 55% अंकों की प्राप्ति के लिए 2% अंकों की कमी है।

विद्यार्थी जून सत्रांत परीक्षा के लिए 1 से 30 अप्रैल तक और दिसंबर सत्रांत परीक्षा के लिए 1 से 31 अक्तूबर तक निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस संदर्भ में इग्नू के पक्ष में बने एवं नयी दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रति पाठ्यक्रम 500/- रुपए की दर से शुल्क सहित निर्धारित फार्मेट में आवेदन पत्र जमा कराना होगा।

सुधार की अनुमति सिर्फ सत्रांत परीक्षा के लिए है न कि प्रायोगिक/प्रयोगशाला, परियोजना कार्यशालाओं एवं सत्रीय कार्य के लिए।

निर्धारित आवेदन फार्म का नमूना नियम एवं विनियम सहित विद्यार्थी हैंडबुक एवं विवरणिका में संलग्न है और इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ignou.ac.in पर भी उपलब्ध कराया गया है।

2.20 मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति

विद्यार्थी आवेदन कर सत्रांत परीक्षा हेतु मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति (फोटोकॉपी) की प्राप्ति कर सकते हैं। वे जून सत्रांत परीक्षा हेतु 1 मार्च से 15 अप्रैल और दिसंबर सत्रांत परीक्षा हेतु 1 सितंबर से 15 अक्तूबर तक इग्नू के पक्ष में बने और "संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र के शहर " में देय 100/- रु. प्रति पाठ्यक्रम के उचित शुल्क सहित निर्धारित आवेदन फार्म में आवेदन कर सकते हैं।

निर्धारित आवेदन फार्म का नमूना नियम एवं विनियम सहित विद्यार्थी हैंडबुक एवं विवरणिका में संलग्न है और इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ignou.ac.in पर भी उपलब्ध कराया गया है।

2.21 शुल्क की वापसी

एक बार अदा किया गया शुल्क, किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जायेगा। यह, इस विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए समायोजित (adjust) भी नहीं किया जायेगा। हालाँकि, जिन मामलों में विश्वविद्यालय प्रवेश देने से इन्कार कर देता है, शुल्क सिर्फ "A/c payee" चेक के माध्यम से पंजीकरण शुल्क काटकर, लौटा दिया जाता है।

2.22 छात्रवृत्ति एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति

आरक्षित श्रेणियों – अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भाारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों को अन्य सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ प्रवेश के समय कुल शुल्क अदा करना होगा।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को कार्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु

इग्नू के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक के माध्यम से संबंधित राज्य के समाज कल्याण निदेशालय या समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में अपने छात्रवृत्ति फार्मों को जमा कराना होगा। इसी तरह इग्नू कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त भाारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी भी भारत सरकार की छात्रवृत्तियों के पात्र हैं। इन्हें संबंधित राज्य सरकार के समाज कल्याण निदेशालय या समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से छात्रवृत्ति फार्मों की प्राप्ति कर, इग्नू के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक के माध्यम से समान निदेशालय/कार्यालय में अपना फार्म जमा करना होगा। स्नातकोत्तर स्तरीय कार्यक्रमों के लिए, राष्ट्रीय अक्षम व्यक्ति रोज़गार संवर्धन केंद्र (एन सी पी ई डी पी) की छात्रवृत्ति योजना, इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर भी लागू है। ऐसे विद्यार्थियों को अधिनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा।

2.23 ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट

विश्वविद्यालय, शिक्षार्थी के आवेदन पर विदेशी या भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों में ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जारी करने की सुविधा प्रदान करता है। वे इग्नू के पक्ष में बने और नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के निम्नलिखित शुल्क सहित निर्धारित फार्म को भरकर आवेदन कर सकते हैं।

1. 200/-रु. प्रति ट्रांसक्रिप्ट, यदि भारत में विद्यार्थी/संस्थानों को भेजी जानी है।
2. 400/रु. प्रति ट्रांसक्रिप्ट, यदि विश्वविद्यालय द्वारा भारत से परे अर्थात विदेशी संस्थानों में भेजी जानी है।

2.24 इग्नू कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में नीति

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निदेशों का अनुपालन करते हुए, इग्नू ने कार्यस्थल में महिला यौन–उत्पीड़न की रोकथाम एवं इस संबंध में दोषियों को दंडित करने की नीति को अंगीकृत किया है। यह नीति इस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक/गैर–शैक्षणिक स्टॉफ एवं विद्याथिर्यों पर लागू है।

इस नीति पर सूचना, नियम एवं कार्रवाई आदि से जुड़ी जानकारी को इग्नू की वेबसाइट (www.ignou.ac.in) पर देखा जा सकता है। यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों की रिपोर्ट, संबंधित क्षेत्रीय केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक या निम्नलिखित प्राधिकारियों के समक्ष की जा सकती है:

यौन उत्पीड़न के विरुद्ध शीर्षस्थ समिति (एसीएएसएच)	
प्रो. प्रवीन सिंक्लेयर अध्यक्ष एवं समकुलपति	pksinclair@ignou.ac.in
सुश्री नीना जैन संचार केंद्र	neenajain@ignou.ac.in
यौन उत्पीड़न के विरुद्ध क्षेत्रीय सेवा प्रभाग समिति (आरएसडीसीएसएच)	
डॉ. नीता कपाई अध्यक्ष एवं उपनिदेशक, कैम्पस प्लेसमेंट सेल	nkapai@ignou.ac.in
डॉ. सी.के. घोष निदेशक, एसएससी	ckghosh@ignou.ac.in
सुश्री कैलाश सलुजा सहायक कुलसचिव, विधि विद्यापीठ	kalishsaluja@ignou.ac.in
सुश्री सुरेखा सहायक कुलसचिव, पुस्तकालय	sur.mittimani@ignou.ac.in

यौन उत्पीड़न के विरुद्ध इग्नू समिति (आईसीएएसएच)	
प्रो. रीता रानी पालीवाल अध्यक्ष एवं प्रो. (हिन्दी), मानविकी विद्यापीठ	rrpaliwal@ignou.ac.in
डॉ. सिलिमा नन्दा निदेशक, अंतरराष्ट्रीय प्रभाग	snanda@ignou.ac.in
डॉ. हिमाद्रि राय रीडर, जेंडर विकास अध्ययन विद्यापीठ	himadriroy@ignou.ac.in
डॉ. मालती माथुर रीडर, मानविकी विद्यापीठ	malati_mathur@ignou.ac.in
सुश्री विद्या सोनल उप कुलसचिव, प्रशासन विभाग	vsonal@ignou.ac.in
श्री के.के.कुट्टी उप कुलसचिव, एसईडी	kkkutty@ignou.ac.in
सुश्री भारती खरबंदा अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर एवं सूचना अध्ययन विद्यापीठ	bhartikharbanda@ignou.ac.in
सुश्री साधना मल्होत्रा सहायक कुलसचिव, इग्नू	sadhnamalhotra@ignou.ac.in
सुश्री कणिका सिंह आटीए, सतत् शिक्षा विद्यापीठ	kanikasingh@ignou.ac.in

रोज़गार (व्यवस्था) सेवाएं

भौगोलिक दृष्टि से वितरित अपनी विद्यार्थी आबादी को विद्यार्थी सहायता सेवाएं विस्तारित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने हाल ही में विविध आई टी एवं गैर–आई टी संबद्ध उपाधियों, डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए कैम्पस प्लेसमेंट सेल (सीपीसी) की स्थापना की है। सीपीसी का मिशन एवं मुख्य प्रयास हमारे शिक्षार्थियों की वैयक्तिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए संभावी उचित रोज़गार अवसरों की प्रक्रिया को प्रोन्नत एवं सुगम बनाना है। उचित रोज़गार के अवसरों की प्राप्ति हेतु सीपीसी की सहायता प्राप्ति के इच्छुक सभी विद्यार्थियों को campusplacement@ignou.ac.in वेबसाइट पर अपने वर्तमान बायोडेटा भेजने का निवेदन किया जाता है। प्लेसमेंट संबद्ध गतिविधियों पर नियमित अद्यतन के लिए, कृपया हमारे होमपेज www.ignou.ac.in को भी देखें।

3 शिक्षा विद्यापीठ

शिक्षा विद्यापीठ के कार्य इग्नू के उद्देश्यों के व्यापक ढाँचे के अंतर्गत आते हैं अर्थात उन शैक्षिक कार्यकलापों को आरंभ करना है जो निम्नलिखित दो प्रमुख क्षेत्रों से सबंधित हैं :

i) व्यवसाय के रूप में शिक्षण कार्य के विभिन्न पहलू, और

ii) शैक्षिक शास्त्र के रूप में शिक्षा की विभिन्न शाखाएँ।

विद्यापीठ में निम्नलिखित चार विद्याएं (शाखाएँ) हैं :

क) शिक्षाशास्त्र

ख) दूर शिक्षा

ग) शिक्षा प्रौद्योगिकी

घ) प्रौढ़ शिक्षा

विद्यापीठ द्वारा निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं :

- शिक्षाशास्त्र में पीएच.डी.
- शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री, एम.ए. (M.A.) (शिक्षा)
- शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री, एम.ई.डी. (M.Ed.)
- शिक्षा स्नातक (B.Ed.)
- उच्च शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDHE)
- विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDSLM)
- अध्यापकों के व्यावसायिक विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGCPDT)
- शैक्षिक प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDET)
- प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.)
- मार्गदर्शन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (CIG)
- शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDEMA)
- प्राथमिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDPPE)
- प्राथमिक शिक्षा में प्रमाणपत्र (CPE)
- प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा में प्रमाणपत्र (CETE)

विकास स्तर पर निम्नलिखित कार्यक्रम हैं :

- शिक्षा में एम.फिल

4. शिक्षा स्नातक (बी.एड.) कार्यक्रम

इग्नू के शिक्षा स्नातक (बी. एड.) कार्यक्रम का उद्देश्य उन बोध और क्षमताओं को विकसित करना है जो माध्यमिक स्तर पर प्रभावशाली अध्यापन-अध्ययन प्रक्रिया हेतु कार्यरत अध्यापकों के लिए आवश्यक हैं। यह कार्यक्रम सेवारत अध्यापकों द्वारा प्राप्त अनुभवों के आदान-प्रदान करने के अवसर भी प्रदान करता है। यह सेवारत अध्यापकों को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अध्ययन (शिक्षा) अनुभवों का चयन करने और उन्हें आयोजित करने की योग्यता भी प्रदान करता

है। इसके अतिरिक्त यह ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ उनमें विभिन्न विषय क्षेत्रों की जानकारी विकसित करता है जैसे शैक्षिक मूल्यांकन, विद्यालय प्रबंधन आदि।

कार्यक्रम के उद्देश्य

कार्यक्रम का उद्देश्य सेवारत अध्यापकों को निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त करने के योग्य बनाना है:

i) सेवारत अध्यापकों के अनुभवों को व्यवस्थित करना और उनकी व्यावसायिक क्षमताओं को सुदृढ़ करना।
ii) ज्ञान को आत्मसात करना और विभिन्न पद्धतियों की जानकारी तथा माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के अध्ययन के अनुभवों को व्यवस्थित करने के दृष्टिकोणों को विकसित करना।
iii) उन कौशलों को विकसित करना जो अध्ययन अनुभवों के चयन करने और उन्हें व्यवस्थित करने हेतु आवश्यक माने जाते हैं।
iv) अधिगम (अध्ययन) प्रक्रिया की प्रकृति को समझना।
v) उन कौशलों को विकसित करना जो विद्यार्थियों की शैक्षिक और निजी समस्याओं को सुलझाने हेतु आवश्यक हैं।
vi) ज्ञान प्राप्त करना और मूल्यांकन की विभिन्न क्रिया-विधियों और तकनीकों की जानकारी विकसित करना तथा उनका कक्षा में प्रयोग करना।
vii) मूल्यांकन उपकरणों के चयन, विकसित और प्रयोग करने में सम्मिलित कौशलों को विकसित करना।
viii) विद्यालय प्रबंध के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान और बोध प्राप्त करना।
ix) विभिन्न शिक्षण (अनुदेशात्मक) और विद्यार्थी सहायता कार्यकलाप आयोजित करने के लिए क्षमताएँ विकसित करना।
x) वर्तमान सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में सामान्यतौर पर और शैक्षिक पद्धति में विशेषतौर पर अध्यापक की भूमिका के महत्व का विकास करना।

अवधि

कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि दो वर्ष है परंतु कार्यक्रम को पूरा करने की अधिकतम अवधि चार वर्ष होगी।

शिक्षा का माध्यम

अंग्रेजी और हिन्दी

पात्रता

सेवारत अध्यापक/अध्यापिकाएँ जिनके पास :

i) 50% अंकों सहित, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा उच्च उपाधि हो; इसके अलावा 50% अंकों की अवश्यकता उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियमन, मानदंड और प्रक्रिया) दूसरे संशोधन नियम 2010 दिनांक 31.3.2010 एवं भारत के राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 26.7.2010 के पहले से अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं।

ii) केंद्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राथमिक/स्तानक/स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में स्थायी/अस्थायी आधार पर दो वर्ष का पूर्णकालिक शिक्षण का अनुभव। आवेदन पत्र जमा कराते समय और साथ ही क्षेत्रीय केंद्र में मूल दस्तावेज़ दिखाते समय अध्यापक को सेवारत होना चाहिए। अनुभव प्रमाणपत्र प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापिका, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या द्वारा ही जारी किया गया हो। दो वर्षों का अपेक्षित शिक्षण अनुभव विज्ञापन में अधिसूचित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख को या इससे पहले ही पूरा होना चाहिए। प्रवेश के समय केंद्र

या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्कूल को जारी मान्यता एवं संबद्ध प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति को अन्य दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

iii) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए अंकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी।**

अभ्यार्थी को अपने विद्यालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में अपना आवेदन पत्र जमा कराना चाहिए।

प्रवेश

प्रवेश समस्त भारत में आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर क्षेत्रीय केंद्रवार दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को केवल आवेदन-प्रपत्र पूर्ण सूचनाओं सहित भर कर जमा कराना होगा। इसके साथ अपेक्षित दस्तावेजों (सर्टिफिकेट आदि की प्रतियाँ) जो कि आवेदन-प्रपत्र भरने संबंधी निर्देशों के अंतर्गत वर्णित हैं, को आवेदन के साथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये दस्तावेज उस समय जमा कराने की आवश्यकता पड़गी जब प्रवेश परीक्षा के उपरांत अभ्यार्थी के पास बी.एड. प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय से अधिकारिक पत्र प्राप्त होगा। सामान्यतः क्षेत्रीय केंद्र से बाहर कार्यक्रम अध्ययन केंद्र के परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

प्रवेश परीक्षा

प्रवेश परीक्षा का आयोजन **21 अगस्त 2011** को होगा। प्रवेश परीक्षा देने के लिए विद्यार्थी को बी.एड. प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरना होगा जो कि विद्यार्थी हैंडबुक और विवरणिका 2011 में संलग्न है। इस आवेदन पत्र के साथ कोई भी अन्य दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं है। हॉल टिकट, योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा से 10 दिन पहले भेज दिया जाएगा। हॉल टिकट न मिलने की स्थिति में प्रवेश परीक्षा से 3 दिन पहले आवेदक इग्नू वेबसाइट www.ignou.ac.in से हाल टिकट डॉउनलोड कर सकते हैं और प्रवेश परीक्षा देने संबंधित परीक्षा केंद्र में जा सकते हैं।

किसी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि वह अभ्यर्थी बी.एड. में प्रवेश संबंधी पात्रता को पूर्ण करता है। बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश का आधार आवेदक की परीक्षा में मैरिट होगी। प्रवेश पूर्ण तब समझा जाएगा जब प्रवेश परीक्षा उपरांत विश्वविद्यालय से प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर आवेदक अपेक्षित दस्तावेजों की प्रतियाँ और मूल दस्तावेज तथा कार्यक्रम शुल्क जमा करा देगा। प्रत्येक कार्यक्रम केन्द्र में सीटों की संख्या 100 तक सीमित है। विश्वविद्यालय को बिना कारण बताए शिक्षार्थी के परीक्षा केंद्र में बदलाव करने/विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा कराने का अधिकार है।

कार्यक्रम शुल्क

पूरे कार्यक्रम का शुल्क पहले वर्ष में एक ही किस्त में 17,400/- रुपए है।

बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भरे हुए आवेदन पत्र के साथ शुल्क का भुगतान न करें। उन्हें अपने प्रवेश और शुल्क के भुगतान के बारे में अलग से सूचना मिल जाएगी।

कार्यक्रम शुल्क का भुगतान "इग्नू" के नाम बने डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए जो उस शहर में देय होना चाहिए जहाँ आपका क्षेत्रीय केंद्र स्थित है। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे कृपया अपना

नाम, कार्यक्रम का नाम (अर्थात बी.एड.) बड़े अक्षरों में लिखें, जिसमें आप प्रवेश लेना चाहते हैं ताकि सही खाते में आपका शुल्क ठीक ढंग से जमा हो जाए।

कार्यक्रम की संरचना

बी.एड. कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से सिद्धांत और प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है ताकि कार्यरत अध्यापकों में उपयुक्त ज्ञान, कौशलों और अभिवृत्तियों को विकसित किया जा सके। प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रासंगिक स्थितियों के उदाहरणों और प्रकरणों तथा कार्यकलापों को शामिल किया गया है। आवश्यकतानुसार सैद्धांतिक पक्ष देकर इनकी सही ढंग से पुष्टि की गई है। इसे ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में पाठ्यक्रम के निम्नलिखित चार समूहों को शामिल किया गया है :

समूह क : कोर पाठ्यक्रम
समूह ख : विषयवस्तु आधारित कार्यपद्धति पाठ्यक्रम
समूह ग : विशेष पाठ्यक्रम
समूह घ : प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम

कार्यक्रम 56 क्रेडिट का है।

पाठ्यक्रम का विवरण

समूह क : कोर पाठ्यक्रम (20 क्रेडिट)

स्कूल अध्यापकों की कार्य आवश्यकता और कार्यक्रम के व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, चार-चार क्रेडिट के पाँच कोर पाठ्यक्रम तैयार किए गए है :

पाठ्यक्रम संख्या	पाठ्यक्रम कोड	पाठ्यक्रम का शीर्षक	क्रेडिट
1.	ई एस - 331	पाठ्यचर्या और अनुदेश	4 क्रेडिट
2.	ई एस - 332	अधिगम और विकास का मनोविज्ञान	4 क्रेडिट
3.	ई एस - 333	शैक्षिक मूल्यांकन	4 क्रेडिट
4.	ई एस - 334	शिक्षा और समाज	4 क्रेडिट
5.	ई एस - 335	अध्यापक और विद्यालय	4 क्रेडिट

* समूह ख : विषयवस्तु आधारित कार्यपद्धति पाठ्यक्रम (8 क्रेडिट)

योग्यता और विद्यालय विषयों में प्राप्त अध्यापन अनुभव को ध्यान में रखते हुए विद्यालय विषयों की (प्रत्येक पाठ्यक्रम 4 क्रेडिट) चुनने हैं :

पाठ्यक्रम संख्या	पाठ्यक्रम कोड	पाठ्यक्रम का शीर्षक	क्रेडिट
1.	ई एस - 341	विज्ञान अध्यापन	4 क्रेडिट
2.	ई एस - 342	गणित अध्यापन	4 क्रेडिट
3.	ई एस - 343	सामाजिक अध्ययन का अध्यापन	4 क्रेडिट
4.	ई एस - 344	Teaching of English	4 क्रेडिट
5.	ई एस - 345	हिन्दी शिक्षण	4 क्रेडिट
*6.	बी.ई.एस.ई - 046	तमिल शिक्षण	4 क्रेडिट

* तमिल अध्यापन, तमिलनाडु राज्य के विद्यार्थियों के लिए आरंभ किया जा सकता है और जो भावी आदेशों तक जारी रहेगा।

** **समूह ग : विशेष पाठ्यक्रम (4 क्रेडिट)**

निम्नलिखित सूची में से एक पाठ्यक्रम चुनना है :

पाठ्यक्रम संख्या	पाठ्यक्रम कोड	पाठ्यक्रम का शीर्षक	क्रेडिट
1.	ई एस - 361	शैक्षिक प्रौद्योगिकी	4 क्रेडिट
2.	ई एस - 362	शिक्षा में कम्प्यूटर	4 क्रेडिट
3	ई एस - 363	निर्देशन एवं उपबोधन	4 क्रेडिट
4.	ई एस - 364	दूर शिक्षा	4 क्रेडिट
5.		समाकलन शिक्षा	4 क्रेडिट

विशेष अनिवार्य पाठ्यक्रम (8 क्रेडिट)।

एच आईवी/एड्स शिक्षा पर आधारित निम्नलिखित दो पाठ्यक्रमों को अनिवार्य बनाया गया है और इनकी प्रस्तुति क्रम संख्या 1 से 5 में से एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम के अलावा, जनवरी 2011 से प्रस्तुत बी.एड. द्वितीय वर्श से की जायेगी।

पाठ्यक्रम संख्या	पाठ्यक्रम कोड	पाठ्यक्रम का शीर्षक	क्रेडिट
6.	बी.ई.एस.ई. - 065	एच आई वी एवं एड्स शिक्षा	4 क्रेडिट
7.	बी.ई.एस.ई. - 066	किशोरावस्था एवं परिवारिक शिक्षा	4 क्रेडिट

समूह घ : प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम (16 क्रेडिट)

प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमों में कौशल विकास पर बल दिया गया है। प्रयोगात्मक कार्य विभिन्न सिद्धांत पाठ्यक्रमों में दिए गए विषय/विषयवस्तु पर आधारित है।

पाठ्यक्रम संख्या	पाठ्यक्रम कोड	पाठ्यक्रम का शीर्षक	क्रेडिट
1.	ई एस - 381	विद्यालय आधारित प्रयोग	4 क्रेडिट
2.	ई एस - 382	कार्यशाला आधारित प्रयोग	4 क्रेडिट
3	ई एस - 383	अभ्यास शिक्षण	8 क्रेडिट

उपर्युक्त उल्लिखित तीन प्रायोगिक पाठ्यक्रमों के अलावा कार्यक्रम में समूह क, ख और ग पाठ्यक्रमों के 8 क्रेडिट के प्रयोगात्मक सत्रीय कार्य सम्मिलित हैं।

शिक्षण पद्धति

बी.एड. कार्यक्रम के आदान-प्रदान में बहुमाध्यम दृष्टिकोण को शामिल किया गया है अर्थात् स्व-शिक्षण मुद्रण सामग्री, श्रव्य/दृश्य कार्यक्रम, सत्रीय कार्य, परामर्श-सत्र और विद्यालय में प्रयोगात्मक कार्य तथा कार्यशाला।

मुद्रित सामग्री

मुद्रण सामग्री कार्यक्रम के सिद्धांत और प्रयोगात्मक घटकों के लिए स्व-अनुदेशी अध्ययन सामग्री है। यह विद्यार्थियों को खंडों के रूप में प्रदान की जाती है। प्रत्येक खंड में 3 से 5 इकाइयाँ होती हैं। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को पंजीकृत डाक द्वारा अध्ययन सामग्री और सत्रीय कार्य भेजता है। यदि किसी विद्यार्थी को किसी कारणवश ये प्राप्त नहीं होते, तो विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

श्रव्य और दृश्य कार्यक्रम

श्रव्य और दृश्य कार्यक्रम अनुपूरक हैं और स्पष्टीकरण तथा ज्ञान बढ़ाने के लिए हैं। इनका प्रयोग कार्यक्रम केन्द्र पर परामर्श-सत्र और कार्यशाला सत्र के दौरान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर दृश्य कार्यक्रमों (ज्ञानदर्शन व अंतःक्रियात्मक रेडियो) का प्रसारण किया जाता है।

सत्रीय कार्य

सत्रीय कार्य अनुदेशी पद्धति का अभिन्न एवं अनिवार्य घटक हैं। प्रत्येक सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के लिए सिर्फ एक सत्रीय कार्य करना है। सत्रीय कार्य अलग से भेजी गई कार्यक्रम दर्शिका में प्रदत्त समयसूची के अनुसार संबद्ध अध्ययन केंद्र में जमा कराया जाएगा।

हाल टिकट प्राप्त करने के लिए, विश्वविद्यालय ने, जून 2011 की अवधि समाप्त परीक्षा से सत्रीय कार्य का जमा करना अनिवार्य कर दिया है।

परामर्श-सत्र

आमतौर पर परामर्श-सत्र सप्ताहांत (शनिवार और रविवार) और लंबे अवकाश के दौरान कार्यक्रम केंद्रों में आयोजित किए जाएँगे। कार्यक्रम की सामान्य अनुसूची के अनुसार, कार्यक्रम केंद्रों के संचालक इन सत्रों की जानकारी के बारे में निर्णय लेंगे। कार्यक्रम केंद्र के संचालक परामर्श-अनुसूची भी प्रदान करेंगे। परामर्श-सत्रों में विद्यार्थियों के साथ सक्रिय संपर्क के माध्यम से उन स्पष्टीकरणों को शामिल किया जाएगा जिनकी आवश्यकता मुद्रण सामग्री और श्रव्य/दृश्य कार्यक्रमों में पड़ती है।

टेलीकांफ्रेंसिंग

अधिक स्पष्टता और जानकारी प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय केंद्रों पर टेलीकांफ्रेंसिंग के दौरान दोतरफा आडियो और एकतरफा वीडियो सुविधा का प्रयोग किया जाएगा।

ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन के माध्यम से अंतः क्रियत्मक रेडियो, (IRC) परामर्श, और अंतःक्रियात्मक कार्यक्रमों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन

प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन उन विद्यालयों और अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों/संस्थाओं में किया जाएगा जिन्हें कार्यक्रम केंद्रों के रूप में निर्धारित किया गया है। पहले ही बताया जा चुका है कि प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमों में प्रयोगात्मक कार्य में विद्यालय-आधारित, कार्यशाला प्रयोग, प्रयोगमूलक सत्रीय कार्य और अभ्यास शिक्षण सम्मिलित हैं। इन कार्यकलापों का आयोजन विद्यालय में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 वर्षों में 24 दिन की अवधि के दो प्रयोगात्मक कार्यशाला आयोजित की जाएगी अर्थात प्रत्येक कार्यशाला 12 दिन की होगी। कार्यक्रम केंद्र अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर कौशलों और क्षमताओं को विकसित करने के लिए गहन प्रत्यक्ष परस्पर संपर्क के लिए ये कार्यशाला आयोजित की जाएगी। छात्र-अध्यापकों को संबंधित विद्यालय से उचित अनुमति लेने के पश्चात पर्यवेक्षक तथा प्रधानाचार्य/मुख्य अध्यापक के मार्गदर्शन के अंतर्गत अध्यापन कौशलों और क्षमताओं के लिए प्रयोगात्मक कार्य और विभिन्न कार्यकलाप करने होंगे। एक विद्यार्थी को लगभग 300 घंटे का संपर्क समय देना होगा।

मूल्यांकन

सिद्धांत और प्रयोगात्मक कार्य दोनों के लिए मूल्यांकन पद्धति निम्नलिखित है :

सिद्धांत : सिद्धांत पाठ्यक्रमों के लिए मूल्यांकन में तीन पहलू शामिल हैं :

क) अध्ययन की प्रत्येक इकाई में स्व-मूल्यांकन अभ्यास (बिना क्रेडिट)।

ख) आवधिक अनिवार्य सत्रीय कार्यों के रूप में सतत् मूल्यांकन। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए इसके 30 प्रतिशत अंक हैं। प्रत्येक सैद्धांतिक पाठ्यक्रम में एक सत्रीय कार्य सम्मिलित है।

ग) सत्रांत परीक्षा के प्रत्येक पाठ्यक्रम के कुल अंकों में 70 प्रतिशत अंक हैं। सत्रांत परीक्षाएँ प्रति वर्ष जून/दिसंबर में आयोजित होंगी। परंतु वर्ष (जनवरी 2011) में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सत्रांत परीक्षा पहले वर्ष के पाठ्यक्रमों के लिए दिसंबर 2011 में होगी। दूसरे वर्श के पाठ्यक्रमों की सत्रांत परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को दिसम्बर 2012 की परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। विद्यार्थियों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि वे अपने परीक्षा फार्म केवल कुलसचिव, संबंधित क्षेत्रीय केंद्र के पास ही भेजें, कहीं अन्यत्र नहीं।

प्रयोग : प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमों के लिए, मूल्यांकन में तीन पहलू हैं :

क) विद्यालय-आधारित कार्यकलाप और अभ्यास शिक्षण का सतत् मूल्यांकन।

ख) प्रयोगात्मक कार्यशालाओं में कार्य निष्पादन का मूल्यांकन।

ग) अभ्यास शिक्षण का मूल्यांकन।

प्रत्येक पाठ्यक्रम में, विद्यार्थी को सतत् और सत्रांत मूल्यांकन दोनों में अलग-अलग कम से कम 'डी' ग्रेड प्राप्त करना होगा। यद्यपि पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम 'सी' ग्रेड प्राप्त करना चाहिए।

यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश किसी पाठ्यक्रम की सत्रांत परीक्षा नहीं दे पाता है तो वह अगली सत्रांत परीक्षा में बैठ सकता है। यह सुविधा विद्यार्थी को तब तक मिलेगी जब तक वह न्यूनतम उत्तीर्ण ग्रेड प्राप्त नहीं कर लेता परंतु यह पंजीकरण की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए होगी।

सतत् एवं सत्रांत घटकों को ग्रेड प्रदान करने के लिए अक्षर ग्रेड पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

अक्षर ग्रेड	गुणात्मक स्तर	बिंदु ग्रेड	प्रतिशत (%)
A	उत्कृष्ट	5	80% एवं अधिक
B	बहुत अच्छा	4	60-79.9%
C	अच्छा	3	50-59.9%
D	संतोषजनक	2	40-49.9%
E	असंतोषजनक	1	40% से कम

दशमलव बिंदु के मामले में ग्रेड कार्ड/मार्क शीट में दशमलव को 0.5 और 0.9 के बीच में राऊंड ऑफ किया जाता है और यदि यहाँ 0.1 से 0.4 के बीच है तो कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। (देखें संलग्न अधिसूचना)।

किसी कार्य के लिए किससे संपर्क करें

1.	अपने पहचान पत्र, शुल्क प्राप्ति रसीद, सदशयता प्रमाण पत्र, प्रवास प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति फार्म हेतु	संबद्ध क्षेत्रीय केंद्र
2.	कार्यक्रमों की अध्ययन सामग्री और सत्रीय कार्य न मिलने पर	क्षेत्रीय निदेशक, संबंधित क्षेत्रीय केंद्र
3.	परीक्षा, डेटशीट	सहायक कुलसचिव (परीक्षा-III) ब्लाक नं. 12, विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग, इग्नू, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110068
3क	परिणाम, पुनः मूल्यांकन, सुधार, अनंतिम प्रमाण पत्र एवं ग्रेड कार्ड आदि	उप कुलसचिव (परीक्षा-III) ब्लाक नं. 12 विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग, इग्नू, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110068
4.	सत्रीय कार्यों के ग्रेड का अंकसूची में न जुड़ना	सहायक कुलसचिव, (सत्रीय कार्य अनुभाग)विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग, इग्नू, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110068 assignments@ignou.ac.in
5.	ऐच्छिक विषय/माध्यम में परिवर्तन/शेष ऐच्छिकों का चयन/अतिरिक्त क्रेडिटों को हटाना	संबंधित क्षेत्रीय केंद्र
6.	पुनः प्रवेश	सहायक कुलसचिव (आर-II) विद्यार्थी पंजीकरण प्रभाग, ब्लाक 3, इग्नू, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110068
7.	मूल उपाधि डिग्री/डिप्लोमा/दीक्षांत समारोह	उप कुलसचिव (परीक्षा-I), ब्लाक नं. 9, विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग, इग्नू, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110068
8.	दृश्य/श्रव्य टेपों की खरीद	विपणन एकक, संचार केंद्र, इग्नू मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110068
9.	शैक्षिक विषयवस्तु	संबद्ध विद्यापीठ के निदेशक
10.	परियोजना सार संक्षेप	संबद्ध विद्यापीठ में परियोजना संचालक
11.	विद्यार्थी सहायता सेवाएँ और विद्यार्थियों की शिकायतें	क्षेत्रीय निदेशक, विद्यार्थी सेवा केंद्र, इग्नू, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110068 ई-मेल : SSC@ignou.ac.in टेलीफोन नं.: 29535714, 29533869, 29533870 फैक्स : 29533129

इग्नू में प्रवेश पूर्णतः योग्यता के आधार पर होते हैं। केवल उन विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा करते हैं। उन विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जो पात्रता मानदंड के अनुसार पात्र न हों। इसलिए विद्यार्थियों को किसी निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए प्रवेश के झूठे वायदों पर विश्वास नहीं करना चाहिए।